सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. NCST/SER-1285/MFIN/88/2024-SSW Dated: 18/07/2024

To,

श्री निधु सक्सैना,
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
बैंक ऑफ महाराष्ट,
प्रधान कार्यालय लोकमगंल,
पुणे (महाराष्ट्र) - 411005
(Email: mdceo@mahabank.co.in)
(Tel. No: 0120-25536533)

Sub: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ बैंक प्रशासन द्वारा अत्याचार करने के संबंध में - श्री अखलेश कुमार मीणा, उपशाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लुनावाडा, अहमदाबाद का दिनांक 13.03.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय,

I am directed to enclosed herewith copy of the minutes of Sitting held under the Chairmanship of Shri Jatothu Hussain, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 08.07.2024 at 11:00 AM in NCST, New Delhi on the above mentioned subject for information.

It is requested that action taken/ to be taken in the matter may be submitted with stipulated time for placing it before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(H.R. Meena)
Research Officer
Ph No. 011-24641640

Copy to:-

Shri Akhlesh Kumar Meena,
Resident Plot No.29-30,
Flat No.304, Anat Sapphire Building Dadu Colony,
Near Railway Jagatpura Gate
Jaipur (Rajasthan) - 302017,
(Mobile No:9413929696)

Copy for information to:-

1. PS to Hon'ble Member (Sh. J. H), NCST
2. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री जाटोतु हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ बैंक प्रशासन द्वारा अत्याचार करने के संबंध में - श्री अखलेश कुमार मीणा, उपशाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जयपुर (राजस्थान) के अभ्यावेदन दिनांक 13.03.2024 में आयोजित बैठक के कार्यवृत।

फ़ाइल - NCST/SER-1285/MFIN/88/2024-SSW
बैठक की तिथि : 08.07.2024, सुबह 11:00 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री अखलेश कुमार मीणा, उपशाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लुनावाडा, अहमदाबाद ने दिनांक 13.03.2024 के अभ्यावेदन मे बताया है कि बैंक प्रशासन द्वारा उन्हे 16.05.2023 को जयपुर ब्रांच में पदभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त कर दिया गया। परंतु, दिनांक 17.05.2023 को अचानक बैंक द्वारा जयपुर ब्रांच में पद ग्रहण करने से मना कर दिया, जिससे काफी मानसिक आघात हुआ।

आयोग ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 26.04.2024 के द्वारा प्रबंध निदेशक एवं CEO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे को 30 दिन के भीतर तथ्य तथा आख्या भेजने हेतु आग्रह किया। बैंक ऑफ महाराष्ट, पुणे ने अपने पत्र दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत की, जिसमे उन्होने बताया कि बैंक की स्थानांतरण नीति [बिन्दु संख्या 5.6 (ii)] के अनुसार अधिकारियों के ऐसे सभी स्थानांतरणों के लिए पिछले कार्य अंचल / ग्रहनगर में पुनः स्थानांतरण के लिए, गृह अंचल / पिछले कार्य अंचल के अतिरिक्त 2 अलग अलग अंचलो में 2 टर्म पूर्ण करने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। श्री अखलेश कुमार मीणा का स्थानांतरण बैंक कि स्थानांतरण नीति के कारण दिनांक 17.05.2023 द्वारा रद्द किया गया जो कि बैंक कि स्थानांतरण नीति के अनुसार है । श्री अखलेश कुमार मीणा 18 मई 2023 से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे है। बैंक के इस पत्र को, आयोग ने पत्र दिनांक 31.05.2024 के द्वारा आवेदक को सूचना हेतु भेजा।

NCST ने इस प्रकरण पर 08.07.2024 को दोपहर 11:00 बजे प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंव आवेदक के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना आयोग के समसंख्यक सिटिंग नोटिस दिनांक 27.06.2024 को प्रबंध निदेशक एवं CEO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंव आवेदक को दी गयी। प्रबंध निदेशक एवं CEO, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंव आवेदक उपस्थित हुए।

आवेदक ने बताया कि बैंक द्वारा स्थानांतरण आदेश किया गया एवं उसके बाद बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया, जिससे आघात हुआ। इससे पूर्व बैंक को अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया था फिर भी बैंक प्रशासन ने स्थानांतरण को रद्द कर दिया। वर्तमान में माताजी का बीमारी का इलाज चल रहा है जिनकी देखभाल स्वयं कर रहा हूँ। इसी कारणवश मैं आदेश निरस्त होने के बाद भी पूर्ववर्ती शाखा में पदभार ग्रहण नहीं कर सका। प्रबंध निदेशक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पत्र दिनांक 30.05.2024 के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना को दोहराया और बताया कि बैंक प्रशासन ने आवेदक के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया है। बैंक प्रशासन द्वारा आवेदक के साथ, पूर्व में किए गए सहयोग को भी बताया।

दोनों पक्षों के साथ विचार विमर्श के पश्चात, निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा बैंक प्रशासन से आग्रह किया गया की वह कार्यवृत के प्राप्त एक माह के भीतर की गयी कार्यवाई आयोग को प्रस्तुत करें –

1. बैंक, आवेदक की परिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मानवीय आधार पर आवेदक को बैंक की जयपुर शाखा में स्थानांतरण हेतु विचार करे ।

2. आवेदक बैंक के लुनावाड़ा शाखा (अहमदाबाद) में अविलंब पदभार ग्रहण करें। इसके पश्चात, बैंक प्रशासन को जयपुर शाखा में स्थानांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें।
3. आवेदक को यह सलाह दी जाती है कि, बैंक द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें।

जाटोतु हुसैन / Jatothu Hussain
सदस्य / Member
भारत सरकार / Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली / New Delhi

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

Annexure

List of participants of the sitting held on 08.07.2024 at 11:00 AM under the Chairmanship of Shri J. Hussain, Hon'ble Member, NCST in the case of Shri Aklesh Meena (उपशाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र) regarding अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ बैंक प्रशासन द्वारा अत्याचार करने के संबंध मे।

I.	**Bank of Maharashtra**
1.	Nidhu Saxena, MD & CEO
2.	K. Rajesh Kumar, GM (HRM)
II.	**Petitioner**
	Aklaish Kumar Meena